



माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी R4040 #16

~~जगदाम सिंह चावड़ा~~
द्वारा आज दि 30-11-16
प्रस्तुत

~~कलेक्टर~~
कलेक्टर ऑफ कोर्ट 30-11-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगरामसिंह पुत्र श्री घासीराम यादव,
आयु 45 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
निवासी ग्राम सड़बूड़, तहसील
बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
-- आवेदक

बनाम

- ✓1- कोकसिंह पुत्र श्री उधरसिंह यादव,
निवासी - ग्राम सड़बूड़, तहसील
बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
- 2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर,
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

636
30-11-16

S. L. Singh
30/11/16

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.11.2016 एवं 26.10.
2016 पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी
(म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 40/15-16/अ-70 स्थितिमाकन आदेश
दिनांक 16/10/16

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

- 1- यहकि, ग्राम सड़बूड़, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी में स्थित सर्वे क्रमांक 631 रकवा 0.21 हैक्टेयर आवेदक को विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 151/1989-90/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1990 के द्वारा आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया गया था।


- 2- यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही प्रस्तुत की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-4040-दो/2016

जिला-शिवपुरी

जगतसिंह विरुद्ध कोक सिंह व म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बदरवास, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 40/2015-16/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016, 26-10-2016 एवं सीमांकन आदेश दिनांक 16-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"> (जे०के० जैन) सदस्य</p>	